

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/ 5671

दिनांक: 22.09.2021

संशोधित आदेश

सां.आ. 136/2021 - राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 29(4) के प्रावधानों के अनुसार मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 5761 दिनांक 05.12.2019 (सां. आ. 131/2019) के द्वारा पंच एवं सरपंच पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप विहित किया हुआ है।

आयोग अपने उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :-

1. पैरा 2 के विद्यमान खण्ड (ग) "सरपंच पद हेतु मतपत्र के ऊपरी भाग के दायीं ओर पंचायत सर्किल का नाम एवं इसके नीचे निर्वाचन की विशिष्टियां, साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में एवं इसके साथ ही चुनाव का वर्ष अंकित किया जाएगा। उदाहरणार्थ साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए "सा.नि./2020" एवं उप निर्वाचन, 2020 के लिए "उ.नि./2020" के स्थान पर (ग) "सरपंच पद हेतु मतपत्र के ऊपरी भाग के दायीं ओर पंचायत समिति का नाम, इसके नीचे पंचायत सर्किल का नाम एवं इसके नीचे निर्वाचन की विशिष्टियां, साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में एवं इसके साथ ही चुनाव का वर्ष अंकित किया जाएगा। उदाहरणार्थ साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए "सा.नि./2020" एवं उप निर्वाचन, 2020 के लिए "उ.नि./2020" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2. आयोग के आदेश क्रमांक 5761 दिनांक 05.12.2019 (सां. आ. 131/2019) में संलग्न विद्यमान परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-2, परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-4 को इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-2, परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-4 से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

आज्ञा से,
चित्रा गुप्ता
(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव
दिनांक 22.09.21

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/ 5672-76

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव एवं निर्देशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान।
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई-मेल एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र में प्रकाशन के लिए ई-गजट पर अपलोड करने हेतु।

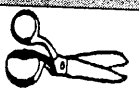
अशोक कुमार जैन
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

पंच निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

परिशिष्ट-1

पंचायत समिति का नाम.....	
पंचायत सर्किल का नाम.....	
वार्ड संख्या.....	
सा. ति./20.....	
No. 0659562	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

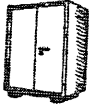
पंच निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

पंचायत समिति का नाम.....	
पंचायत सर्किल का नाम.....	
वार्ड संख्या.....	
सा. नि. / 20.....	
No. 0659562	
मनोज कुमार 	मनोज कुमार 
पंच चुनाव	
मनोज कुमार 	मनोज कुमार 
मनोज कुमार 	मनोज कुमार 
मनोज कुमार 	मनोज कुमार 
मनोज कुमार 	मनोज कुमार 
मनोज कुमार 	नोटा (इनमें से कोई नहीं) 
मनोज कुमार 	

सरपंच निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

पंचायत समिति का नाम.....	
पंचायत सर्किल का नाम.....	
सा. नि. / 20.....	
No. 0659562	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

सरपंच निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

No. 0659562		पंचायत समिति का नाम..... पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि. / 20.....	
मनोज कुमार		मनोज कुमार	
सरपंच चुनाव			
मनोज कुमार		मनोज कुमार	
मनोज कुमार		मनोज कुमार	
मनोज कुमार		मनोज कुमार	
मनोज कुमार		मनोज कुमार	
मनोज कुमार		नोटा (इनमें से कोई नहीं)	